[Secretary]

Houses on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1965:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be extended up to the 30th November, 1968".

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

SEVENTH REPORT

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Sir, I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.23 HRS.

CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

Shri George Fernandes wants to oppose it. Normally at the introduction stage it is not opposed.

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण): मैं नियमों के अनुसार ही इसका विरोध कर रहा हूं। ऐसा करने के खास कारण भी हैं। उन से विवश हो कर ही मुझे इसका इस स्टेज पर विरोध करना पड़ रहा है।

दो बातें इस बिल के द्वारा हमारे गृह मंत्री महोदय करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि क्लाज़ 2 के तहत वह इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 153 (ए) को एमेंड करना चाहते हैं और क्लाज 3 के द्वारा इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 505 को एमेंड करना चाहते हैं। आगे आप सैक्शन 6 को देखें। इस में माननीय मंत्री जी का जो सुझाव है वह बहुत ही खतरनाक है और इसी को ले कर मैं इस बिल का बुनियादी तौर पर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस को सदन में पेश करने की अनुमति न दी जाए।

गृह मंत्री महोदय ने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीज़ंज में कहा है अभी हाल ही में नैशनल इंटेग्रेशन काउंसिल की बैठक श्रीनगर में हुई थी वहां पंजाब स्पेशल पावर्ज प्रेस एक्ट 1956 से सम्बन्धित जो भी कानून है उसको पूरे देश पर लागू करने के बारे में विचार हुआ था और उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए ही वह इस सदन के सामने आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले आंध्र में इसी किस्म का एक विधेयक आंध्र सरकार ने वहां की विधान सभा में पेश किया था जिस में अखबारों के ऊपर कई किस्म के निर्बन्ध लाने का प्रयास किया गया था। उस विधेयक को ले कर आंध्र की विधान सभा में सख्त विरोध प्रकट किया गया था। उस विधेयक पर इस सदन में भी काफी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान इनफर्मेशन मिनिस्टर ने यह बताया था कि आंध्र सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार की बातचीत चल रही है, उस विधेयक का क्या किया जाए, इसके बारे में उसके साथ बातचीत चल रही है। जब केन्द्रीय सरकार उस विधेयक के

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-8-68.